

वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम – सीजेरियन प्रसव कराने पर डाक्टर, पारामेडिक तथा RKS हेतु प्रोत्साहन राशि।
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष- A.1.

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या- A.1.4.2.c
कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

कुल प्रसव में जटिल प्रसव का अनुपात 15% है तथा 8% से 10% प्रसव में सीजेरियन आपरेशन करना जरूरी हो जाता है ताकि जच्चा बच्चा की जान बच सके। सरकारी अस्पतालों में हो रहे प्रसव में c-section का अनुपात 1% से भी कम है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जिलों के सरकारी अस्पतालों में c-section की सुविधा देना वांछनीय है।

इकाई राशि (रु० लाख में)-Rs.1500/-case

वित्तीय दिशा निर्देश- यह राशि द्वितीय त्रैमासिक हेतु आवंटित की जा रही है। त्रैमासिक के अंत में यदि जिलों में C-Section की संख्या में वृद्धि हुई तो राज्य स्वास्थ्य समिति, द्वारा सत्यापन करने के पश्चात् (Source of verification will be HMIS & FMR) अगले त्रैमासिक हेतु राशि आवंटित की जा सकती है।

अगर किसी सरकारी अस्पताल में c-section प्रसव किया गया है तो डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट, पारामेडिक तथा RKS को निम्न प्रकार प्रोत्साहन राशि देय होगी –

Activity	Total Amount Rs.	RKS	Operating Doctor	Anesthetist	Paramedic
C-section	1500/-case	500	500	300	200

RKS के मद में 500 रूपए देय राशि को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उस केन्द्र के RKS में जमा करेंगे जिसे जिसका उपयोग गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों के लिए किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराया जा सकता है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) SHSB/MCH/68/2009-II/20074, Date:-22/09/2010 (संलग्न)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम- गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर- 9431005972,

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

56



State Health Society, Bihar राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org



संजय कुमार, मा०प्र०से०
सचिव स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:-SHSB/MCH/ 68/2009-II/ 20074

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति,
बिहार

पटना, दिनांक:- 22/09/2010

विषय:- बजट शीर्ष A.1.4.2.3 एवं कार्यक्रम "सीजेरियन प्रसव कराने पर डाक्टर पारामेडिक तथा RKS हेतु प्रोत्साहन राशि" के वित्तीय दिशा-निर्देश -2010-11 में संशोधन के संबंध में ।
महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि राज्य में कुल प्रसव में जटिल प्रसव का अनुपात 15% है तथा 8% से 10% प्रसव में सीजेरियन आपरेशन करना जरूरी हो जाता है ताकि जच्चा बच्चा की जान बच सके । सरकारी अस्पतालों में हो रहे प्रसव में c-section का अनुपात 1% से भी कम है ।

अतः मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से एवं सरकारी अस्पताल में हो रहे c-section प्रसव की अनुपात में कमी को देखते हुए दिनांक:-16.08.2010 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में हुई 8वीं एक्सीक्यूटिव कमिटी की बैठक के निर्णयोपरान्त राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक:-18281, दिनांक:-08/07/2010 के साथ प्रेषित दिशा निर्देश-2010-11 के बजट शीर्ष A.1.4.2.3, कार्यक्रम का नाम-सीजेरियन प्रसव कराने पर डाक्टर पारामेडिक तथा RKS हेतु प्रोत्साहन राशि" के वित्तीय दिशा निर्देश में पूर्वलिखित शर्तें (कुल प्रसव का 5% c-section के उपरांत किए गए प्रत्येक c-section प्रसव/case पर प्रोत्साहन राशि देय) को संशोधित कर प्रोत्साहन राशि (यथावत) प्रत्येक case पर निम्नलिखितानुसार देय है -

Activity	Total Amount Rs.	RKS	Operating Doctor	Anesthetist	Paramedic
C-section	1500/-case	500	500	300	200

RKS के मद में 500 रूपए देय राशि को प्रमारी चिकित्सा पदाधिकारी उस केन्द्र के RKS में जमा करेंगे । इस राशि का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों के लिए किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जा सकता है ।

इसे तत्कालिक प्रभाव से लागू समझें ।

संजय कुमार

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)